

# शशि थरुर भारत सरकार के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे

**यह प्रतिनिधि मण्डल, 22 मई को अमेरिका जायेगा, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए**

-शशि थरुर झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। तिलकन्तपुरम सांसद शशि थरुर द्वारा ऑपरेशन सिन्हूर के दौरान तथा बाद में नेन्ड्र मोदी सरकार का बचाव करने पर, जर्मन उंकों अपनी कांग्रेस पार्टी उनसे अप्रसन्न हैं, वहाँ केन्द्र सरकार उन्हें महत्वपूर्ण संबोध वित्तीय प्रतिनिधिमण्डल के नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है, जो अमेरिका को पाकिस्तानी आतंक के विषय में वर्तुलिक्षणीय को जानकारी देगा, भारत सरकार ने पूरी तात्पुरता देगी।

शशि थरुर और एआईएमआईएम प्रमुख असली के रूपमें उभर कर आये हैं, जिन्होंने पहली तात्पुरता देगी।

- थरुर के अलावा ए.आई.एम.आई.एम. के नेता असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के दूसरे नेता होंगे, जिन्हें प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया जायेगा।
- ओवैसी ने प्र.मंत्री मोदी की सरकार को भारी समर्थन दिया है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार का पाकिस्तान पर जवाबी आक्रमण को।
- हालांकि, शशि थरुर को भारत के प्रतिनिधि मण्डल का अध्यक्ष बनाना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, क्योंकि, थरुर विदेशी मामलात की संसदीय समिति के अध्यक्ष वैसे भी हैं।
- पर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंहूर के तहत मोदी सरकार की कार्यवाही की थरुर द्वारा तारीफ करने को उनका निजी विचार बताकर एक तरह से छिपकी दी थी, इसे देखते हुए शशि थरुर को संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का अध्यक्ष बनाना साथारण बात नहीं लग रही है।
- ओवैसी के अलावा अमेरिका जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के अन्य सदस्य हैं, शमिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, संवित पात्रा, सुप्रिया सुले व डी. पुरंदेश्वरी हैं।

के समर्थन को कांग्रेस के आधिकारिक यही कारण है कि कल कांग्रेस प्रवक्ता निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो पार्टी निजी विचार पृष्ठ पर।

के समर्थन को कांग्रेस के आधिकारिक यही कारण है कि कल कांग्रेस प्रवक्ता निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो पार्टी निजी विचार पृष्ठ पर।

## 'स्कूल फीस के निर्धारण के लिये अभी तक रिवीजन कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ?'

**राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया और सोमवार को अगली सुनवाई तय की**

जयपुर, 16 मई (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 19 मई, यानी अगले सोमवार को शपथ पर पेश कर बताने को कहा है कि स्कूल फीस की नियंत्रण अधिनियम, 2016 में अप्रधान नहीं के बावजूद, अभी तक "फीस रिवीजन कमेटी" का गठन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रमुख शिक्षा सचिव कीर्तिकारी के जरिए अदालत में परिस्तिहासिक होकर अपना जानकारी देगा, जिन्होंने वहाँ तात्पुरता देंगे।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक

कासलीवाल में अदालत को बताया कि

याचिका की नियंत्रण को बताया कि